न्यायालय उप जिला कलक्टर नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी- सुश्री श्वेता फगेड़िया R.A.S.

राजस्व वाद संख्या - 32/03.

1. नारायण
2. प्रेमचन्द
3. बेनू प्रसाद
} पुत्रगण परमाती पुत्र बोदन जाति माली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला (भरतपुर)

------------ वादीगण

बनाम

1. मुस० मुकरबो जोजा हरि पुत्र बघु धन्नी पुत्र बोदन जाति माली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर
2. पुष्कर पुत्र तोताराम
3. देवेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद
} जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नगर
4. तहसीलदार नगर प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

------------ प्रतिवादीगण

5. जगन्नी पुत्र मुकरबो
6. श्याम
7. प्रेम
} पुत्रगण रूपा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

8. छज्जू
9. किशनलाल
10. बालूराम
11. बिशनलाल

पुत्रगण कन्हैया पुत्र तोता जाति माली निवासी कस्बा नगर तह० नगर

—तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88-89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

—x—

उपस्थित - 1-श्री दिनेश गुप्ता अभि० वादीगण

2. श्री सुनील दत्त शर्मा अभि० प्रति०

—o—

निर्णय दिनांक : 27 जनवरी

वादीगण द्वारा दिनांक 24.03.03 को एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53-88-89-188 R.T. Act 1955 का पेश कर निवेदन किया कि गत आ०खा० न० ... 1136-1137, 1138-1139-1140-1141-1142 कित्ता-10 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा स्थित कस्बा नगर के 1/3 हिस्सा पर वादीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद सं० 32/03
नारायण व/s मु० सुवाको

प्रतिवादिनी संख्या-1 के ससुर बोदन पुत्र धीसा की तथा 1/3 हिस्सा जगनी पुत्र सुखली प्रतिवादी संख्या-5 की व 1/3 हिस्सा रूपा पुत्र तोता पूर्वज प्रतिवादी संख्या 6 लग०-11 के कब्जे काश्त खातेदारी की थी। वादीगण का पूर्वज बोदन जो 1/3 हिस्से का मालिक काबिज काश्त था के तीन पुत्र धान्टी-परभाती-छीतरिया थे। धान्टी का पुत्र हरि (फौत) तथा हरि की पत्नी मुस० सुवाको प्रतिवादी संख्या-1 है। परभाती के तीन पुत्र नारायन, प्रेमचन्द, बेनू क्रमश: वादी संख्या 1-2-3 है। छीतरिया लावल्द बिला औरत फौत हुआ। इसीप्रकार रूपा जो 1/3 हिस्से का मालिक काबिज काश्त था, उसके तीन पुत्र कन्हैया, श्याम (प्रति०सं० 6), प्रेम (प्रति०सं०-7) हुये। कन्हैया के चार पुत्र क्रमश: छज्जूराम; किशनलाल बाबूलाल, बिशनलाल प्रतिवादी संख्या 8 लगा०11 है। बोदन की मृत्यु उपरान्त उसके 1/3 हिस्से पर धान्टी, परभाती, छीतरिया 1/3-1/3-1/3 दर 1/3 दर्ज होगये। सम्वत 2014 की जमाबन्दी में [illegible] प्रकार का अंकन भी आया। धान्टी [illegible] का ससुर था परिवार का मुखिया कर्ता स्याना [illegible] था जो चालाक किस्म का था। उसने मृतक बोदन के 1/3 शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को राजस्व कार्मिको से साज करके
वाहिद रूप से अपने नाम राजस्व अभिलेख
मे दर्ज करा ली। जिसके फलस्वरूप
वादीगणा के पिता द्वारा एक वाद विरूद्ध
घन्टी न्यायालय S.D.O डीग मे
पेश किया जो वादीगणा के पक्ष मे निर्णीत
हुआ। तथा दा० खा० सं० 906 दि० 15.6.68
से उसका राजस्व अभिलेख मे अमल
भी हुआ। इसी प्रकार जब छीतरिया
लावल्द बिला औरत फौत हुआ तो वर्ष
1982 मे उसके 1/3 हिस्से को भी घन्टी
ने वाहिद रूप से अपने नाम दर्ज करा
लिया। जबकि वोदन की आराजी 1/3 में से
वादीगणा 1/2 अर्थात 1/6 हिस्सा तथा
प्रतिवादी संख्या -2 के सहुर का हिस्सा
1/6 होता है। घन्टी द्वारा बिना किसी
कब्जे प्राप्ति के दिनांक 8.5.88 को एक
बयनामा तथा दिनांक 1.9.88 को एक
दानपत्र तहरीर [illegible] जो कालिल
व बेअसर [illegible] द्वारा
कि कारण दिनांक 3-[illegible]3 को प्रतिवादीगणा
द्वारा वादीगणा को स्पष्ट धमकी दी है
कि वह वादीगणा को बेदखल करके

राजस्थान
सरकार
(भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रहेंगे। अतः वादीगण द्वारा प्रार्थना की गयी कि हाल खसरा नं॰ 1748/0.18, 1753/0.56, 1754/0.02 1898/0.2, 1899/0.16, 1900/0.13, 1901/0.15 1907/0.16, 1908/0.14, 1909/0.10, 1910/0.11, 1911/0.05 1912/0.26, 1913/0.26, 1914/0.11, 1915/0.14, 1916/0.08 1917/0.12, 1918/0.02, 1919/0.05, 1920/0.04, 1921/0.04 1922/0.10, 1923/0.05, 1924/0.19, 1925/0.13, 1926/0.11 किता-27 रकबा 3.47 हे॰ व खसरा 1747/0.60, 1752/0.41 किता-2 रकबा 1.01 हे॰ स्थित कस्बा नगर के 1/6 हिस्से पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम कलमजन करते हुये बयनामा दिनांक 8.4.88 व दान पत्र संख्या 1560 दिनांक 1.9.88 को बातिल व बेअसर घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2-3 बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं आये। अतः दिनांक 17.12.03 को उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 23.09.0[illegible] [illegible] पेश किया। प्रतिवादी [illegible] दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

28.9.05 उभय पक्ष [illegible] [illegible] [illegible]
दि॰ 1-10-05 [illegible] [illegible]

Scanned with CamScanner

8.03.04 को जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि पारिवारिक सजरा सही पेश किया है। इस दावा से पूर्व इन्ही पक्षकारो में इसी आराजी बाबत एक राजस्व वाद संख्या 244/02 इत्याम बनाम जगनी दिनांक 17.12.02 को खारिज निर्णित हो चुका है। इस प्रकार अब दावा वादी धारा 10-11 C.P.C के प्रावधानो के तहत चलने योग्य नहीं है। तथा बयनामा व दानपत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को। तथा दावा वादी आदेश-7 नियम 11 जा०दी० के तहत भी खारिज योग्य है। अत: उसने दावा वादीगण को मय खर्चा खारिज करने की प्रार्थना की।

उभय पक्षकारान के अभिभाषकों की उपस्थिति में दिनांक 17.7.04 को निम्न तनकीयात कायम की गयी:-

1- आया वादीगण वाद-पत्र की मद सं० 2 में बयान आराजी सुब० के 1/6 हिस्से ... बतौर खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण के नाम चल रहे गलत इन्द्राज को कलमजद करा पाने के अधिकारी है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद सं० 32/03
नारायण v/s श्री सुखराम

2- आया वादीगण, विक्रय-पत्र दिनांक 8.4.88 व दान-पत्र दिनांक 1.9.88 जो धन्नी द्वारा कराये गये है को नल एन्ड वोईड घोषित करा उनके आधार पर परिवर्तित राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करा पाने के अधिकारी है ?

3- आया वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है -?

4- आया दावा वादीगण पूर्ववत वाद प्रधान कौ० बनाम जगनी कौ० से धारा 10 व 11 C.P.C. के तहत चलने योग्य नहीं है ?

5- आया वाद-पत्र राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है -?

6- आया वाद-पत्र आर्डर-7 नियम-11 C.P.C. से काबिल खारिजी के है -?

7- अनुतोष

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2055-58 EXP-1, दा० खा० सं० 643 दिनांक 20.8.89, दा० खा० सं० 903 दिनांक 4.10.68 EXP-6 नकल जमाबन्दी हालबाद [illegible] 2002 EXP-5 नकल जमाबन्दी [illegible], नकल जमाबन्दी सम्वत 2022-2[illegible] EXP-8

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

28.9.05 उभय पक्ष के अधि० उप० ४ [illegible]
दि० 1-10-05 को पेश हो

Scanned with CamScanner

नकल बयनामा दिनांक 8.4.88 Ex P-9
नकल बयनामा दिनांक 1.9.88 Ex P-10
नकल खसरा-पत्रक बन्दोबस्ती सम्वत्
2028 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में
बयान प्रेमचन्द PW-1, दौलतराम PW-2,
जगानी PW-3 कराकर अपनी साक्ष्य
समाप्त की। प्रतिवादी संख्या-1 ने
दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की। मात्र
मौखिक साक्ष्य में बयान सुवालाल DW-1,
हरलाल DW-2, हुकमचन्द DW-3
कराकर अपनी तरदीद समाप्त की।

बहस बिलात अभिभाषक
उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। तनकी-वार
निर्णय की विवेचना निम्न प्रकार है!-
तनकी संख्या-1 !- पत्रावली पर उपलब्ध
नकल जमाबन्दी सम्वत् 2002 Ex P-5
पर वादग्रस्त आराजी किता-10 रकबा
27 बीघा 01 बिस्वा पर सुवाली बल्द
नाथी [illegible] मुरली
[illegible]
एक हिस्सा, [illegible] बल्द घीसा व
मुसा० कुरनी बेवा गिरिज व० हि० बराबर
एक हिस्सा कौम माली मौरुसी की
प्रविष्टियां है। तथा सम्वत् 2014 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

 राजस्व वाद सं० 33/05
नारायणा V/S मु० सुकली

जमाबन्दी Ex P-7 में भी उक्त खसरा नं० किता-10 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा पर जगती बल्द सुक्की 1 हिस्सा, रूपा व मुरली पिसरान तोता व हि.ब. 1 हिस्सा, घन्टी-परभाती-छीतरिया पिसरान बोदन व.हि.ब. निस्फ, मु० छुरनी बेवा गिर्राज निस्फ दर 1 हिस्सा कौम माली की प्रविष्टि है।

इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 के ससुर का 1/6 हिस्सा था। अर्थात प्रतिवादी संख्या-1 के ससुर घन्टी ने बिना अपने अधिकार के हाल आ० खसरा नं० 1747/0.60 1752/0.41 किता-2 का 2/9 हिस्सा दिनांक 8.4.88 को प्रतिवादी संख्या 2-3 को विक्रय किया है। इसी प्रकार दानपत्र दिनांक 1.9.88 भी बिना किसी विधिक आधार व स्वामित्व के कराया गया है। वादग्रस्त आराजी दा० खा० सं० 906 दिनांक 15.6.68 से जब परभाती के नाम आ गयी तथा सन 1982 में जब छीतरिया पुत्र बोदन लाबल्द बिला औरत फौत हो गया तो वाद ग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या-1 के ससुर संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहे। स्वयं प्रतिवादी संख्या-1 ने [illegible] जवाब में वादीगण द्वारा [illegible] को

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

28.9.05 उभय पक्ष के अधि० उप० [illegible]
दि० 1-10-05 को पेश हो।

Scanned with CamScanner

सही माना है। फिर कोई विवाद उत्तराधिकार
सम्बन्धी शेष ही नही रह जाता।
वादीगण स्वयं को वादग्रस्त आराजी
के 1/6 हिस्सा पर खातेदार घोषित
घोषित करा पाने के अधिकारी है।
आराजी चूंकि P.N.B. शाखा नगर में
रहन है। अत: रहन मकान यथावत
रहेगी तथा ख०नं० 1907/0.16 में से
203 1/3 व०ग० जो मु० आबादी नगर
पालिका नगर के खाते में चली गयी है
अत: इस नम्बर के 203 1/3 छोड़कर
से भिन्न ही वादीगण 1/3 हिस्सा के 1/2
अर्थात 1/6 हिस्सा के खातेदार रहेंगे।

तनकी संख्या - 2 :- यह तो निर्विवाद
रूप से सत्य है कि विक्रय-पत्र 8.4.88
व दान पत्र दिनांक 1.9.88 बिना किसी
विधिक व्यक्तित्व के कराये गये है, ऐसे
दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य है। यद्यपि
इन दस्तावेजात को निरस्त करने का
क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है
परन्तु ज... शून्य
है तो इन्हे खारिज ... के असर करार
दिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार
में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद सं० 32/03

 नारायणा v/s श्री सुखदेव

तनकी संख्या - 3 :- तनकी संख्या 1-2 में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है तथा दोनों ही तनकी बाहक वादीगण निर्णित हो चुकी है। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति की पूर्ण रूपेण अधिकारी है।

तनकी संख्या - 4 :- प्रतिवादी संख्या - 1 ने अपने जवाबदावा में जो ऐतराज पूर्ववर्ती राजस्व वाद 244/02 श्याम वगैरह बनाम जगनी वगैरह निर्णय दिनांक 17.12.02 बाबत पेश किया है। उसके समर्थन में उसने उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश ही नहीं की है। फिर धारा 10 या 11 C.P.C के प्रावधानों की परीक्षा किस प्रकार की जा सकती है। अतः यह तनकी बाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या - 5 :- तनकी संख्या - 2 में पूर्ण विवेचना हो चुकी है तथा यह तनकी बाहक वादीगण निर्णित हो चुकी है। राजस्व न्यायालय को विभाजन, घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद सुनने व निस्तारित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह तनकी भी बाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या - 6 :- ... जवाबदावा में उन तथ्यों का खुलासा नहीं किया जिससे दावा में O-7- R-11 C.P.C. के प्रावधान प्रतिकूल

28.9.05 उभय पक्ष ने अधि० उप० ...

Scanned with CamScanner

प्रभाव डालते प्रतीत हो। मात्र यह कथित कर देने से कि O-7-R-11 C.P.C के तहत दावा काबिल खारिजी के है यह तथ्य विचारण योग्य नहीं रह जाता। अतः यह तनकीह भी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकीह संख्या-7:- दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाता है। बयनामा दिनांक 8.4.88 व दान पत्र दिनांक 1.9.88 बातिल व बेअसर करार दिये जाकर वादीगण की आ० ख०न० 1748/0.18 1753/0.56, 1754/0.02, 1898/0.02 1899/0.16, 19[illegible]3, 1901/0.15 1907/[illegible]/0.10 1910/0.11, 1911/0.0[illegible], 1912/0.26 1913/0.26, 1914/0.11, 1915/0.14 1916/0.08, 1917/0.12, 1918/0.02

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1919/0.05, 1920/0.04, 1921/0.04, 1922/0.10
1923/0.05, 1924/0.19, 1925/0.13, 1926/0.11
किता-27 रकबा 3.47 एकड़ खाता 1747/0.60
1752/0.41 किता-2 रकबा 1.01 है० कुल किता
29 रकबा 4.48 है० स्थित कस्बा नगर के
1/6 हिस्सा पर वादीगण (व. हि. व.) को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष 1/6 हिस्से
पर प्रतिवादी संख्या-1 तथा आराजी के
1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या-5 तथा 1/3 हिस्से
पर प्रतिवादी संख्या 6 लगा० ॥ खातेदार रहेंगे।
रहन मकान यथावत रहेंगे तथा ऊ० खाता
1907/0.16 में से 203½ व० गज जै. मु. आ. के
अकने यथावत रहने हुए इसके शेष रकबे में सिर्फ
वादीगण 1/6 हिस्से के खातेदार होंगे। साथ ही
प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी पर वादीगण
के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें। तदनुसार
पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली वाद तकमील व
तामील दाखिल दफ्तर हो।

प्रमोद
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
बयाना (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक ... 2003 को मेरे
द्वारा खुले न्यायालय में ... सुनाया
गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रमोद
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
बयाना (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

(23)

<u>डिक्री व फर्द कार्यवाही</u>

अज अदालत परगना अधिकारी/सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी

[illegible] पुत्र [illegible] औरिया आर.ए.एन.

1. [illegible] | पुत्रगण [illegible] पुत्र [illegible] सा० [illegible] मौजा [illegible]
2. [illegible] |
3. [illegible] | ---- वादीगण

बनाम

1. [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible] सा० [illegible] मौजा [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible] | सा० [illegible] मौजा [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible] |
4. कलेक्टर [illegible] द्वारा [illegible] ---- अज प्रतिवादीगण
5. [illegible] पुत्र [illegible]
6. [illegible] | पुत्रगण [illegible]
7. [illegible] |
8. [illegible] | पुत्रगण [illegible] पुत्र [illegible]
9. [illegible] |
10. [illegible] | सा० [illegible] मौजा [illegible]
11. [illegible] |

दावा अन्तर्गत धारा 53,88-89,168 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नं0 32/03 सन् 2003

यह मुकदमा आज [illegible] [illegible] हमारे व [illegible] के [illegible], [illegible] हुई व [illegible] [illegible] हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को आराजी खसरा नं0 [illegible]/0.18, 1753/0.56, 1756/0.02, 1898/0.02, 1899/0.16, 1900/0.13, 1901/0.15, 1907/0.16, 1908/0.16, 1909/0.10, 1910/0.11, 1911/0.04, 1912/0.26, 1913/0.26, 1914/0.11, 1915/0.14, 1916/0.08, 1917/0.12, 1918/0.02, 1919/0.05, 1920/0.04, 1921/0.04, 1922/0.010, 1923/0.05, 1924/0.19, 1925/0.13, 1926/0.11, किता 27 रकबा 3.47 एवं खसरा नं0 1747/0.60, 1752/0.41 किता 2 रकबा 1.01 है कुल किता29 रकबा 4.48 है0 [illegible] मौजा [illegible] के 1/6 हिस्सा पर [illegible] खातेदार [illegible] किया जाता है । शेष 1/6 हिस्से पर [illegible] । [illegible] आराजी के 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 5 [illegible] 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 6 [illegible] खातेदार होंगे [illegible] [illegible] आराजी खसरा नं0 1907/0.16 में [illegible] के अलग [illegible] रखते हुए [illegible] [illegible] [illegible] होंगे । [illegible] प्रतिवादीगण को [illegible] किया जाता है कि वह [illegible] आराजी पर वादीगण के [illegible] में हस्तक्षेप न करे ।

[illegible] मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 जनवरी2005 को जारी की गई ।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
[illegible] (बारापत्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner